मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंचरना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम, 2016

भाग-एक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ
2. परिभाषायें
3. विस्तार तथा लागू होना
4. सेवा का गठन
5. गठन, वर्गीकरण एवं वेतनमान

भाग-दो

6. भर्ती का तरीका
7. सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें
8. निरर्हताएं
9. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग / प्राधिकरण / चयन समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा
10. सीधा भर्ती द्वारा चयन
11. आयोग से, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से या चयन समिति के रूप में संचालक मण्डल द्वारा विहित अभिकरण द्वारा अभ्यर्थी की सूची
12. परिवीक्षा

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

भाग- तीन

13. अनुसूची-एक में उल्लिखित संविदा पदों के लिए अभ्यर्थियों को अनुसूची-चार (ख) में उल्लिखित शर्तें पूरी करनी होंगी
14. निरर्हता
15. संविदा पदों पर चयन
16. यदि संविदा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवाएं संतोषजनक हैं

भाग-चार

17. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

18. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें

19. पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार करना

20. पदोन्नति हेतू चयन सूची का अनुमोदन

21. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :--

22. मृत संवर्ग (डाइंग कैडर)

23. निर्वचन

24. छूट

- अनुसूची - एक
- अनुसूची- दो
- अनुसूची - तीन
- अनुसूची - चार (क)
- अनुसूची - चार (ख)
- अनुसूची - पाँच (क)
- अनुसूची- छह
- अनुसूची - पाँच (ख)

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंचरना विकास मण्डल (संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती) विनियम, 2016

क्र. 37 6-का.प्र.1-मण्डल-2017 भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2017

मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3 सन 1973) की धारा 15 तथा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संचालक मण्डल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से तथा मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल सेवाएं (लिपिक वर्गीय / कार्यपालक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियम, 1977 , विनियम, 1992, विनियम, 1998 तथा समस्त पूर्व संकल्पों, आदेशों तथा संबंधित विषयों के निर्देशों को अतिष्ठित करते हुये, एतदद्वारा, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के विनियमन तथा संगठनात्मक संरचना से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, जिनका अनुमोदन व पुष्टि राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-23-06/ 2015/18-6 भोपाल दिनांक 04/04/ 2017 द्वारा की गई है, अर्थात :-

विनियम

भाग-एक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** :-

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संगठनात्मक संरचना एवं भर्ती विनियम 2016 है।

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

MAP IT (MP Code)

2. **परिभाषायें** :- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

www.code.mp.gov.in

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं, अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम (1972 क्रमांक 3 सन् 1973);

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम-2015 के अनुसार नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां करने के लिये सक्षम हो;

(ग) "मण्डल" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मण्डल;

(घ) "संचालक मण्डल" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित संचालक मण्डल;

(ङ) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग;

(च) "विभागीय पदोन्नति / सीधी भर्ती समिति" से अभिप्रेत है, ऐसी समिति जो विनियमों के अनुसार नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां करने के लिये सक्षम हो;

(छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सरकार

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र.एफ-84-पच्चीस ---4-84 तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य

पिछड़े वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, भर्ती के लिये, विनियम 9 के अनुसार संचालक मण्डल द्वारा गठित समिति;

(ड) "सेवा" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (2) में यथावर्णित सेवाएं;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

3. विस्तार तथा लागू होना -

ये विनियम अनुसूची-एक में वर्णित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे :-

4. सेवा का गठन. :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

(1) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के अधिसूचित होने के पूर्व, अनुसूची- एक में वर्णित पदों को मूलत: अथवा स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के अधिसूचित होने के पूर्व विनियम, 1998 एवं विनियम, 1992 की अनुसूची-एक के अनुसार पदों पर नियुक्त किये गये हों।

(3) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किये जाएंगे।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

5. गठन, वर्गीकरण एवं वेतनमान :-

(1) मण्डल की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं का वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या अनुसूची-एक में उपबंधित किए गए अनुसार होगी।

(2) मण्डल की विभिन्न इकाइयों में विभिन्न पदों का वितरण अनुसूची -दो में दिए गए अनुसार होगा किन्तु आयुक्त, परियोजनाएं एवं कार्यो की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) प्रशासकीय विभाग की पूर्व अनुमति से संचालक मण्डल, पदों की संख्या, वेतनमान तथा वर्गीकरण, में समय-समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे। मण्डल पदों के कतिपय संवर्गो को मृत भी घोषित कर सकेगा।

भाग-दो

6. भर्ती का तरीका:-

(1) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी:-

(क) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की सेवाओं की सीधी भर्ती के मामले में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा संचालक मण्डल द्वारा यथा विहित प्रक्रिया एवं अभिकरण के माध्यम से:

परन्तु संचालक मण्डल द्वारा सहायक यंत्री (सिविल/विद्युत) की रिक्तियाँ भरने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के बदले में जी.ए.टी.ई. (Graduate Aptitude Test in Engineering) में अंकों (स्कोर) के आधार पर अनुमति दी जा सकेगी।

(ख) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के मामले में प्रोफेशनल एक्लामिनेशन बोर्ड

(पी.ई.बी.) के माध्यम से या संचालक मण्डल द्वारा यथा विहित अभिकरण एवं प्रक्रिया द्वारा;

(ग) अनुसूची एक में संविदा के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये मण्डल द्वारा यथा विहित शर्तों एवं प्रक्रिया माध्यम से।

MAP IT (MP Code)

(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) के अनुसार नियुक्त / भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में वर्णित संख्या से, अनुसूची-तीन में वर्णित संख्या / प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(3) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, सीधी भर्ती केवल विनियम 6 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी अन्यथा नहीं।

www.code.mp.gov.in

7 . सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें -

मण्डल की सेवाओं में चयन हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:-

(1) आयु :

(क) भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने के कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को अनुसूची-चार (क) के कालम (3) के अनुसार न्यूनतम आयु प्राप्त की हो. किन्तु कालम (4) में दी गई अधिकतम आयु पूर्ण नहीं की हो।

(ख) विभिन्न प्रवर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा उपबंधित किए गए अनुसार आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं:

अभ्यर्थी के पास अनुसूची- चार (क) के कालम (5) के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

8. निरर्हताएं:-

इन विनियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा पदों पर चयन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी निरर्ह होंगे-

(1) कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो.

(2) किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में किसी ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए, जो मण्डल की सेवा मे कर्तव्य के पालन में बाधा डालें:

परन्तु आपवादिक मामले में किसी अभ्यर्थी को किसी पद पर इस शर्त के अध्यधीन पूर्ण रूप से अस्थाई रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य के कारणों से योग्य नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी।

(3) कोई भी उम्मीदवार सेवा के लिये पात्र नहीं होगा, यदि यथा अपेक्षित आवश्यक जांच के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा के लिये अनुपयुक्त है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध में दोषी पाया गया हो। यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसका चयन, मामले में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये अनुज्ञात की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो।

(6) कोई भी अभ्यर्थी जिनकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.1.2001 को या उसके पश्चात् हो :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी की एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26.1.2001 को या उसके पश्चात् हो जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है सेवा के लिये निरर्ह नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए किसी भी साधन से सहायता की मांग करना उसे चयन के लिए निरर्ह बनाएगा।

9. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग / प्राधिकरण / चयन समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा - सीधी भर्ती के पद पर चयन के संबंध में अभ्यर्थी की पात्रता तथा अन्य विषयों पर, यथास्थिति, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त अभिकरण अथवा चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10. सीधा भर्ती द्वारा चयन:-

(1) (क) अधिनियम की धारा 35 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही, संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी।

(ख) वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के अन्तर्गत भर्ती की प्रक्रिया, विनियम 6 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(2) (क) सीधी भर्ती के अधीन रिक्तियों के मामले में पदों का प्रतिशत समय-समय पर सरकार द्वारा नियत किया जा सकेगा जो क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होगा। आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश / निदेश / नियम / अधिनियम मण्डल में लागू होंगे।

(ख) इस प्रकार आरक्षित पदों की रिक्ति को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विनियम- 11 के अनुसार, अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उनके स्थान को विचार में लाये बिना सूची में उसके आदेश के अनुसार विचार में लिया जाएगा।

(ग) यदि आरक्षित पदों को भरने के लिये यथा अपेक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से पर्याप्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्तियाँ आगामी भर्ती के लिए अग्रनीत की जाएंगी।

(घ) निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, महिला तथा अन्य विशिष्ट वर्ग के लिए समस्तरीय (होरिजेन्टल) आरक्षण के उपबंध के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश / निदेश / नियम / अधिनियम मण्डल में लागू होंगे।

(3) भर्ती के लिए आवेदन कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में, मण्डल की वेबसाइट पर तथा रोजगार एवं निर्माण समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये जाएंगे।

(4) विभिन्न पदों के लिए आवेदन फीस, आयुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा यथा संशोधित मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में लागू होंगे।

MAP IT (MP Code)

11. आयोग से, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड से या चयन समिति के रूप में संचालक मण्डल द्वारा विहित अभिकरण द्वारा अभ्यर्थी की सूची :-

1. चयनकर्ता अभिकरण / चयन समिति ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों की पृथक श्रेणीवार सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी, जो नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हों।
2. अभ्यर्थी की, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो मण्डल के कर्मचारियों को लागू होते हों, रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम से विचार में लिया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हो।
3. सूची में नाम को सम्मिलित किया जाना, नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का अभ्यर्थी की सब प्रकार से उपयुक्तता के बारे में समाधान न हो जाए एवं पदों की उपलब्धता के बारे में अंतिम विनिश्चय न हो जाए।
4. चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधि मान्य होगी, किन्तु संचालक मण्डल द्वारा इसकी कालावधि में अधिकतम 6 माह की वृद्धि की जा सकेगी।
5. संचालक मण्डल, चयन प्रकिया को स्थगित या निरस्त कर सकेगा अथवा चयनकर्ता अभिकरण को संसूचित पदों की संख्या से कम पदों पर नियुक्ति दिए जाने का निर्णय ले सकेगा।

12. परिवीक्षा -

1) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
2) परिवीक्षा के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आयुक्त द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण लेना होगा और विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी यदि नियुक्ति प्राधिकारी का मत है कि व्यक्ति का एक उपयुक्त मण्डल कार्मिक बनना सभव नहीं हो सकेगा।
4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के अन्त में समाप्त की जा सकेंगी यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या व्यक्ति सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है।
5) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति दो वर्ष में विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है अथवा उसका कार्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी के मत में संतोषजनक नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक के लिंये बढ़ा सकेगा।
6) परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में स्थाई कर दिया जाएगा बशर्ते कि स्थायी रिक्ति विद्यमान हों। अन्यथा, नियुक्ति प्राधिकारी यह कथन करते हुये उस व्यक्ति के पक्ष में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु पद की अनुपलब्धता के कारण, ऐसा नहीं किया जा सका तथा जैसे ही और जब स्थायी पद उपलब्ध हो जाता है, व्यक्ति को स्थायी कर दिया जाएगा।

MAP IT (MP Code)

भाग- तीन

13. अनुसूची-एक में उल्लिखित संविदा पदों के लिए अभ्यर्थियों को अनुसूची-चार (ख) में उल्लिखित शर्तें पूरी करनी होंगी -

www.code.mp.gov.in

(एक) आयु :

(क) उन्होंने भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने के कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को अनुसूची-चार (ख) के कालम (3) के अनुसार न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो, और आयु कालम (4) में दिये गये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) संचालक मण्डल, अनुसूची-चार (ख) में उपबंधित आयु सीमा को शिथिल कर सकेगा।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं :

अभ्यर्थी के पास अनुसूची-चार (ख) के कालम (5) में यथावर्णित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

14. निरर्हता:-

मण्डल में संविदा नियुक्ति के पदों पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी निरर्ह हो जाएगा, यदि वह विनियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा चयन, नियुक्ति के लिए निरर्ह हो जाता है।

15. संविदा पदों पर चयन -

संचालक मण्डल, आयुक्त को, वार्षिक भर्ती कार्यक्रम के अनुसार सीधी भर्ती हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

16. यदि संविदा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवाएं संतोषजनक हैं और वह किसी निरर्हता से ग्रसित न हो तो आयुक्त, संविदा अवधि में वृद्धि कर सकेगा किन्तु यह वृद्धि अधिकतम केवल दो बार की जा सकेगी।

भाग-चार

17. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति -

(1) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार की जाएगी तथा' राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आनुषंगिक आदेश, मण्डल में लागू होंगे एवं तदनुसार अनुसूची पाँच (क) के कॉलम (3) में वर्णित पात्रता होने पर अनुसूची पाँच (ख) के कॉलम (3) के अनुसार पदों पर पदोन्नति की जा सकेगी।

(2) चयन सूची / उपयुक्तता सूची तैयार करने के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नानुसार होगी :-

(क) -प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों हेतु;

1 – अध्यक्ष / सदस्य आयोग	अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग सदस्य	सदस्य
3- आयुक्त,. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	सदस्य
4- यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो आयुक्त द्वारा नाम नामनिर्दिष्ट समुचित स्तर का कोई अधिकारी	सदस्य

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(ख)- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों हेतु;

आयुक्त, कार्मिक प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा।

(3) समिति की बैठक सामान्यत: वर्ष में दो बार होगी।

(4) सेवा/ पदों के सदस्यों की ज्येष्ठता सूची 1 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी तथा पदोन्नति के लिए विचार में लेने हेतु पदोन्नति समिति को उपलबध करवाई जाएगी।

(5) विभागीय पदोन्नति के लिये अनुसूची -पाँच को के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करना अनिवार्य होगा।

(6) पदोन्नति के लिये रक्षित पदों हेतु फीडर केडर में लगातार 3 वर्ष तक कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध

न होने या उपलब्ध होने की संभावना न होने की स्थिति में, संचालक मण्डल द्वारा फीडर केडर में अहंकारी सेवा की शती का शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

18. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्ते :-

पदोन्नति समिति के विचारण का क्षेत्र सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा। पदोन्नति समिति ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने पहली जनवरी को उस पद पर जिससे अगले उच्च पद पर पदोन्नति की जानी है, अनुसूची-पाँच (ख) में वर्णित किये गये अनुसार न्यूनतम अर्हता सेवा (मूल रूप से या स्थानापन्न) पूर्ण की हो तथा अनुसूची पाँच (क) के अनुसार पात्र हो;

परन्तु इस विनियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति के नाम पर पदोन्नति के लिये केवल उनकी अपेक्षित अहंकारी सेवा पूर्ण करने के आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

19. पदोन्नति हेतु चयन सूची तैयार करना -

चयन मूवी, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगी।

20. पदोन्नति हेतू चयन सूची का अनुमोदन -

(1) पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई चयन मूवी नियुक्ति हेतु प्रस्तुत की जाएगी। अनुमोदित की गई सूची अनुसूची -पाँच खा के कालम (3) में वर्णितपदों पर पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) उपरोकघनुसार तैयार की गई चयन सूची, उस कैलेण्डर वर्ष में उद्भूत रिक्तियों की पूर्ति के लिए विधिमान्य होगी।

MAP IT (MP Code)

21. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :--

www.code.mp.gov.in

(1) सूची में सम्मिलित कार्मिकों की नियुक्ति संवर्गीय पदों पर, उसी क्रम से, किन्तु रोस्टर बिन्दु के अनुसार दो वर्ष के लिये स्थानापन्न हैसियत में की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम मूवी में हो।

(2) यदि पदोन्नत कार्मिक, पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने के दो वर्ष की कालावधि के भीतर पदोन्नत पद की समस्त अपेक्षाएं पूर्ण करने में असफल रहता है अथवा उसका कार्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्मिक उसके पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा। यदि कनिष्ठ पद पर रिक्ति उपलब्ध न हो तो सांख्येतर पद सृजित मानकर उसके वेतन तथा भत्तों का आहरण किया जायेगा।

(3) चयन सूची तैयार होने के पश्चात एवं पदोन्नति आदेश जारी होने के पूर्व विचाराधीन कार्मिक के विरूद्ध यदि कोई विभागीय जांच संस्थित होती है, सेवा से निलंबन आदेश जारी होता है अथवा अपराधिक प्रकरण में अभियोजित होता है तो पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा एवं उसकी पदोन्नति की, अनुशंसा बंद लिफाफे में की गई मानी जाएगी।

22. मृत संवर्ग (डाइंग कैडर) :-

इन विनियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात अनुसूची- छह में वर्णित संवर्ग, मृत संवर्ग होंगे, अर्थात् इन संवर्गो में कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर यह पद स्वयंमेव समाप्त हो जाएंगे।

23. निर्वचन -

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो संचालक मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा। पदोन्नति की दशा में, यह सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा।

24. छूट :-

इन विनियमों में किसी उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिस पर ये विनियम लागू होते हों, नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति को सीमित या कम करती हो, जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो :

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो संबंधित व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो;

परन्तु यह और कि जहाँ कहीं, भी विनियम स्पष्ट नहीं हैं, वहां मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंध तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग नियम तथा अनुदेश लागू होंगे।

MAP IT (MP Code)

www.code.mp.gov.in

अनुसूची - एक

(विनियम - 5 देखिए)

(पदों का वर्गीकरण,वेतनमान एवं पदस्थान)

अनुक्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पद की श्रेणी	वेतनमान (वेतन बैण्ड+ग्रेड वेतन)	पद का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त	1	प्रथम श्रेणी	मध्यप्रदेश शासन के सचिव स्तर का।	मुख्यालय
2.	अपर आयुक्त (सिविल)	3	प्रथम श्रेणी	37400-67000+8900	मुख्यालय/परिक्षेत्र
3.	उपायुक्त (सिविल)	10	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय/सिविल वृत्त
4.	उपायुक्त (विद्युत)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	विद्युत वृत्त
5.	मुख्य वास्तुविद	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
7.	मुख्य संपदा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
8.	मुख्य सतर्कता अधिकारी. सह मुख्य विधिक सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600 (संविदा आधार पर भर्ती की दशा में, अंतिम आहरित सकल वेतन में से वर्तमान पेंशन की रकम घटाकर संविदा वेतन में देय होगी)	मुख्यालय
9.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+7600	मुख्यालय
10.	सनदी लेखाकार (चार्टर्डएकाउन्टेन्ट)	2	प्रथम श्रेणी के समकक्ष	15600-39100+/ 600	मुख्यालय
11.	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी		प्रथम श्रेणी	15600-39100+/ 600	मुख्यालय
12.	प्रशासनिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
13.	संपदा अधिकारी	6	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय/सिविल वृत्त (संपदा अधिकारी कार्यालय)
14.	लेखा अधिकारी	12	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय/सिविल वृत्त
15.	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	31	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय/सिविल संभाग

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

16.	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	3	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	विद्युत संभाग
17.	वास्तुविद	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
18.	भू- प्रबंधन अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
19.	विधि अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 (संविदा आधार पर भर्ती की दशा में, अंतिम आहरित सकल वेतन में से वर्तमान पेंशन की राशि घटाकर वह संविदा वेतन के रूप में देय होगी)	मुख्यालय
20.	अंकेक्षण अधिकारी	2	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
21.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
22.	सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी समकक्ष	आयुक्त द्वारा किया गया समेकित संविदा वेतन	मुख्यालय
23.	जनसंपर्क अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600	मुख्यालय
24.	सहायक यंत्री (सिविल)	95	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय/सिविल वृत्त/सिविल उपसंभाग
25.	सहायक यंत्री (विद्युत)	9	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	विद्युत वृत्त/ उपसंभाग
26.	सहायक वास्तुविद	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
27.	शाखा अधिकारी	11	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
28.	संपदा प्रबंधक	32	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	सिविल वृत्त (संपदा अधिकारी कार्यालय)/सिविल संभाग
29.	कनिष्ठ अंकेक्षण अधिकारी	8	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
30.	सहायक सूवना प्रौद्योगिकी अधिकारी	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400	मुख्यालय
31.	निज सचिव	6	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200	मुख्यालय
32.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	द्वितीय	9300-34800+4200	मुख्यालय

MAP IT (MP Code)
www.codemp.gov.in

			श्रेणी		
33.	लेखापाल	58	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600	मुख्यालय/वृत्त/संपदा अधिकारी कार्यालय /संभाग
34.	निज सहायक	12	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600	मुख्यालय
35.	सहायक प्रोग्रामर	12	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय/ सिविल वृत्त
36.	उपयंत्री (सिविल)	296	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय/वृत्त/संभाग/उप संभाग
37 .	उपयंत्री (विद्युत)	28	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	विद्युत वृत्त/ सिविल संभाग
38.	मानचित्रकार वास्तुविद	4	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय
39.	सहायक संपदा प्रबंधक - 1	7	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय/ संपदा अधिकारी कार्यालय
40.	सहायक संपदा प्रबंधक- 2	36	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय / संपदा कार्यालय/संभाग
41.	सहायक विधि अधिकारी	9	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200	मुख्यालय / वृत्त
42.	शीघलेखक	9	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त
43.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	19	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त/संपदा कर्यालय
44.	वरिष्ठ सहायक	266	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त/संपदा कर्यालय संभाग
45.	सहायक	428	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त/संपदा कर्यालय संभाग
46.	चालक	15	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800	मुख्यालय / वृत्त
4/ .	दफ्तरी	21	चतुर्थ श्रेणी	4440-/ 440+1400	मुख्यालय / वृत्त/संपदा कर्यालय /संभाग
48.	भृत्य	318	चतुर्थ श्रेणी	4440-/ 440+1400	मुख्यालय / वृत्त/संपदा कर्यालय /संभाग/उपसंभाग

टीप :- 1) कॉलम 6 में दर्शित पद का स्थान मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (कामकाज का संचालन एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम, 2015 के अनुसार संचालक मण्डल / आयुक्त द्वारा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है।

2) आयुक्त, मुख्यालय में पदस्थ किसी शाखा प्रमुख को अपने प्रभार के साथ मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी-अधिकारी का उसके नियमित प्रभार के अतिरिक्त देगा।

3) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 2(7) के अधीन मण्डल के समुचित अधिकारी को शासन द्वारा पदेन सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित / प्राधिकृत किया

MAP IT (MP Code)
www.codemp.gov.in

जा सकेगा।

4) इस अनुसूची में उल्लेखित संवर्गो के अतिरिक्त शेष अन्य, मृत संवर्ग होंगे। ऐसे संवर्गो के पद कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति. अथवा अन्यथा स्वयंमेव अस्तित्वहीन हो जाएंगे। इन पदों में कार्यरत् कार्मिक के सेवानिवृत्त होने तक इन पदों पर सांख्येत्तर पदों के रूप में बने रहेंगे।

5) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, ई.डी.पी.मैनेजर का पद समाप्त हो जाएगा तथा उक्त पद पर कार्यरत कार्मिक की सेवा. कम्प्यूटर प्रोग्रामर संवर्ग में वरिष्ठता को यथावत रखते हुए संविलियत होंगे।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अनुसूची- 2

(विनियम- 5 देखिये)

'(मण्डल की विभिन्न इकाईयों पदों का ब्यौरे)

अनुक्रमांक	पद का नाम	अध्यक्ष सचिवालय	आयुक्त सचिवालय	सतर्कता एवं विधि शाखा	प्रशासन (सीजीआर) शाखा/ मण्डल/ सचिवालय / सामग्री प्रबंधन	कम्प्यूटर शाखा	तकनीकी शाखा	वास्तुविद शाखा	संपदा प्रबंधन शाखा	पीआरओ शाखा	लेखा शाखा	लेखा परीक्षा शाखा	भू- अर्जन शाखा	वृत्त कार्यालय	इलैक्ट वृत्त कार्यालय	इलैक्ट. संभाग	27 संभाग	27 संपदा प्रबंधन शाखा	7 उपसंभाग	7 विद्युत उपसंभाग	5 संपदा कार्यालय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	अध्यक्ष	1																				1
2.	आयुक्त		1																			1
3.	अपर आयुक्त						3															3
4.	उपायुक्त (सिविल						3							7								10
5.	उपायुक्त (विद्युत)														1							1
6.	मुख्य वास्तुविद							1														1
7.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी				1																	1
8.	मुख्य संपदा अधिकारी								1													1
9.	मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधि सलाहकार			1																		1
10.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी										1											1
11.	सनदी लेखाकार										2											2
12.	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी											1										1
13.	प्रशासनिक अधिकारी				1																	1
14.	संपदा अधिकारी								1												5	6

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

15.	लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी / (प्रशासनिक अधिकारी / संपदा अधिकारी प्रधान कार्यालय के लिये)										4			7	1							12
16.	कार्यपालन यंत्री (सिविल)									4									27			31
17 .	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)															3						3
18.	वास्तुविद							1														1
19.	भू-प्रबंधन अधिकारी												1									1
20.	विधि अधिकारी			1																		1
21.	अंकेक्षण अधिकारी											2										2
22.	सूचना प्रौद्योगिकि अधिकारी					1																1
23.	सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार					1																1
24.	जनसंख्या अधिकारी									1												1
25.	सहायक यंत्री (सिविल)						6							16					73			96
26.	सहायक यंत्री (विद्युत)														1					8		9
27 .	सहायक वास्तुविद							2														2
28.	शाखा अधिकारी			1	3				2		4		1									11
29.	संपदा प्रबंधक																	2/			5	32
30.	कनिष्ठ अकेक्षण अधिकारी											8										8
31.	सहायक सूचना प्रौद्योगिकि अधिकारी					2																2
32.	निज सचिव	1	1		1		3															6
33.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर					4																4
34.	लेखापाल										6	8		8	1	3	27				5	56
35.	निज सहायक	1	2	1	1		3	1	1		1	1										12
36.	सहायक प्रोग्रामर					2			1		1			8								12
37 .	उपयंत्री (सिविल)						4							16			27		249			296
38.	उपयंत्री (विद्युत)																1			27		28
39.	मानचित्रकार (वस्तु)							4														4
40.	सहायक संपदा प्रबंधक - 1								2												5	7

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

41.	सहायक संपदा प्रबंधक - 2								4								27			5	36
42.	सहायक विधि अधिकारी			1									8								9
43.	शीघ्रलेखक											1	7	1							9
44.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर			1	1	2			1		1		7	1						5	19
45.	वरिष्ठ सहायक			3	14		2		3	1	8	4	2	21	1	3	108	81			15	266
46.	सहायक	2	2	5	15	2	3	2	4	2	4	8	3	42	2	9	108	108	70	7	30	428
47 .	चालक				15																15
48.	दफ्तरी				2		1		1		2	1	1	7	1					5	21
49.	भृत्य	2	3	2	25	2	10	4	5	2	10	6	2	28	3	9	54	54	70	7	20	318
	योग	7	9	16	7 9	16	42	15	26	6	44	39	11	182	14	27	351	29/	462	49	100	1792

अनुसूची - तीन

(विनियम-6 देखिए)

(पदों की संख्या एवं विभाजन)

अनुक्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का विभाजन/प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती	विभागीय पदोन्नति	अन्य	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(/)
1	आयुक्त	1	-	-	1	उक्त अधिनियम, 19/ 2 की धारा 13(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति द्वारा।
3	उपायुक्त (सिविल)	10	-	9	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार / राज्य सरकार या उनके उपक्रमों के अधीक्षण यंत्री स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति के लिए यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो संचालक मण्डल समय-समय पर विभागीय पदोन्नति से पद भरने की अनुज्ञा दे सकेगा।
4.	उपायुक्त (विद्युत)	1	-	1	-	-

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

5.	मुख्य वास्तुविद	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (राजपत्रिता) सेवा के संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी या केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के समकक्ष वेतनमान के वास्तुविदीय विशेषज्ञ /,अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रवर श्रेणी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।
7.	मुख्य संपदा अधिकारी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रवर श्रेणी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
8.	मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधिक सलाहकार	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	न्यायिक सेवा से जिला एवं सत्र न्यायाधीश या -समकक्ष अधिकारी की प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष अधिकारी की संविदा नियुक्ति द्वारा ।
9.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार की विभिन्न लेखा सेवाओं या मध्यप्रदेश वित्त सेवाओं के समुचित वरिष्ठता के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो संचालक मण्डल समय-समय पर विभागीय पदोन्नति से पद भरने की अनुज्ञा दे सकेगा ।
10.	सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)	2	-	-	2 (संविदा आधार पर)	इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया से रजिस्ट्रीकृत सनदी लेखाकार
11.	मुख्य अंकेक्षण	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार की विभिन्न लेखा सेवाओं या मध्यप्रदेश वित्त सेवाओं/

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

	अधिकारी					स्थानीय निधि संपरीक्षा से समुचित वरिष्ठता के अधिकारी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी।
12.	प्रशासनिक अधिकारी / लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी	19	-	19	-	समान संवर्ग
13.	कार्यापालन यंत्री (सिविल)	31	-	31	-	-
14.	कार्यापालन यंत्री (विद्युत)	3	-	3	-	-
15.	वास्तुविद	1	-	1	-	-
16.	भू- प्रबंधन अधिकारी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	राज्य प्रशासनिक सेवर से अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।
17.	विधि अधिकारी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति/ संविदा आधार पर)	राज्य प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा आधार पर नियुक्ति अथवा शाखा अधिकारी संवर्ग से वरिष्ठतम विधि स्नातक की नियुक्ति (सामान्यत: 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात शाखा अधिकारी संवर्ग में वापस भेजा जाएगा)
18.	अंकेक्षण अधिकारी	2	-	-	2 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र सरकार की विभिन्न लेखा सेवाओं या मध्यप्रदेश वित्त सेवाओं / स्थानीय निधि संपरीक्षा से समुचित वरिष्ठता के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की जाएगी।
19.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / उपक्रमों/ संस्था से

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

	अधिकारी					सूचना प्रौधोगिकी/ कम्प्यूटर्स विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
20.	सहायक सूचना प्रौद्योगिकि अधिकारी	2	-	2	-	-
21.	जनसंपर्क अधिकारी	1	-	-	1 (प्रतिनियुक्ति)	मध्यप्रदेश शायन, जनसंपर्क विभाग से समुचित स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।
22.	सहायक यंत्री (सिविल)	95	24 (25 प्रतिशत)	71 (75 प्रतिशत)	-	विभागीय पदोन्नति से - 1.डिप्लोमाधारक - 50%(4/) 2.उपाधिधारक - 20%(19) 3.मानचित्रकार - 05%(05) (मानचित्रकार सवर्ग मृत सवर्ग है, यदि व्यक्ति फीडर कैडर से पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं है, तो संचालक मण्डल मानचित्रकार कोटा समुचित रूप से परिवर्तित करेगा)
23	सहायक यंत्री (विद्युत)	9	2 (25 प्रतिशत)	7 (75 प्रतिशत)	-	विभागीय पदोन्नति से - 1 डिप्लोमाधारक - 50% (05) 2.उपाधिधारक - 25% (02)
24	सहायक यंत्री	2	1 (50 प्रतिशत)	1 (50 प्रतिशत)	-	-
25	शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक	43	11 (25 प्रतिशत)	32 (75 प्रतिशत)	-	समान संवर्ग
26	कनिष्ठ अंकेक्षण अधिकारी	8	-	-	8 (प्रतिनियुक्ति)	-
27	निज सचिव	6	-	6	-	-
28	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	2 (50 प्रतिशत)	2 (50 प्रतिशत)	-	-
29	लेखापाल	58	-	58	-	-

MAP IT (MP Code)
www.cadamp.gov.in

30	निज सहायक	12	-	12	-	-
31	सहायक प्रोग्रामर	12	6 (50 प्रतिशत)	6 (50 प्रतिशत)	-	-
32	उपयंत्री (सिविल)	296	296	-	-	-
33	उपयंत्री (विद्युत)	28	28	-	-	-
34	मानचित्रकार (वास्तुविद)	4	4	-	-	-
35	सहायक संपदा प्रबंधक -1	7	-	7	-	-
36	सहायक संपदा प्रबंधक-2	36	-	36	-	-
37	सहायक विधि अधिकारी	9	-	-	9 (आंतरिक प्रतिनियुक्ति / संविदा अधार पर)	सहायक संपदा प्रबंधक-2 / वरिष्ठ सहायक संवर्ग से वरिष्ठतम विधि स्नातक की 3 वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति (सामान्यत: 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात मूल संवर्ग में वापस भेजा जाएगा)
38	शीघ्रलेखक	9	9	-	-	-
39	डाटा एन्ट्री आपरेटर	19	19	-	-	-
40	वरिष्ठ सहायक	266	-	266	-	-
41	सहायक	428	385 (90 प्रतिशत)	43 (10 प्रतिशत)	-	-
42	चालक	15	15	-	-	-
43	दफ्तरी	21	-	21	-	-
44	भृत्य	318	318	-	-	-

टीप :- स्वीकृत पदों के रिक्त होने की स्थिति में आयुक्त विधि अनुसार लंबित पद को भरने तक किसी समकक्ष

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अधिकारी अथवा उसी संवर्ग के कनिष्ठ अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दे सकेगा।

अनुसूची - चार (क)

(विनियम / देखिए)

(सीधी भर्ती के लिये व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता/पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक यंत्री (सिविल)	21 वर्ष	40 वर्ष	सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि
2	सहायक यंत्री (विद्युत)	21 वर्ष	40 वर्ष	विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि
3	सहायक वास्तुविद	21 वर्ष	40 वर्ष	भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से वास्तुविद में उपाधि या भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार तथा वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम।
4	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी भी संकाय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) से उपाधि
5	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	21 वर्ष	40 वर्ष	सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में प्रथम श्रेणी इंजीनियरिंग उपाधि अथवा मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रथम श्रेणी
6	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	40 वर्ष	स्नातक
7	डाटा एन्ट्री आपरेटर	21 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र ।
8.	उपयंत्री (सिविल)	21 वर्ष	40 वर्ष	सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।
9	उपयंत्री (विद्युत)	18 वर्ष	40 वर्ष	विद्युत इंजीनियरिग में 3 वर्षीय डिप्लोमा ।
10	मानचित्रकार (वास्तु)	18 वर्ष	40 वर्ष	वास्तुकला में 3 वर्षीय प्रथम श्रेणी डिप्लोमा ।
11	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र कम्प्यूटरपर 30 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता, शीघ्रलेखक के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था-परिषद से 100 शब्द

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

				प्रतिमिनिट की गति से अंग्रेजी/ हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
12	सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र । कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टायपिंग मे दक्षता
13	चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	10 वी. उत्तीर्ण
14	भृत्य	18 वर्ष	40 वर्ष	10 वी. उत्तीर्ण

टीप - 1. कॉलम (5) में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं, न्यूनतम हैं। उच्चतर अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थी भी चयन हेतु पात्र होंगे। वार्षिक भर्ती कार्यक्रम अनुमोदन के समय संचालक मण्डल द्वारा अतिरिक्त अर्हता हेतु अतिरिक्त अंक दिए जाने का विनिश्चय बोर्ड के लिए उपयोगी होगा।

2. नियुक्ति हेतु आयु की संगणना नियुक्ति के कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी से की जाएगी।

अनुसूची - चार (ख)

(विनियम 13 देखिए)

(संविदा नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की आयु तथा पात्रता मानदंड)

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैखणिक अर्हता / पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य सतर्कता अधिकारी सह मुख्य विधिक सलाहकार	-	63 वर्ष	मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवाओं के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अधिकारी।
2	विधिक अधिकारी	-	63 वर्ष	मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी।
3	सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)	25 वर्ष	32 वर्ष	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया में रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट।
4	सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार	-	40 वर्ष	आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग / मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम से परामर्श के साथ तत्समय उपयुक्तता / पात्रता को भर्ती के समय विनिश्चय किया जाएगा ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

टीप :- नियुक्ति के लिए आयु की संगणना नियुक्ति के कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी से की जाएगी ।

अनुसूची - पाँच (क)

(विनियम 17 देखिए)

(विभागीय पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पात्रता मानदंड
(1)	(2)	(3)
1.	अपर आयुक्त (सिविल)	सिविल इंजीनियरिग में बी.ई. / बी.टेक
2.	उपायुक्त (सिविल)	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./ बी.टेक
3.	उपायुक्त (विद्युत)	विद्युत इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक
4.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	पदोन्नति की दशा में किसी भी संकाय में उपाधि
5.	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	1. सिविल इंजीनियरिंग में बीई. / बी.टेक उन सहायक यंत्रियों को जो विनियम 17 के अनुसार कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं तथा जो उपयंत्री / मानचित्रकार संवर्ग से पदोन्नत किए जा चुके हैं, उपाधि की शर्ते आवश्यक नहीं है । 2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
6.	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	1. विद्युत इंजीनियरिग में बीई. / बी.टेक उन सहायक यंत्रियों को जो विनियम 17 के अनुसार कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं तथा जो उपयंत्री / मानचित्रकार संवर्ग से पदोन्नत किए जा चुके हैं, उपाधि की शर्ते आवश्यक नहीं है। 2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
7.	वास्तुविद	भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से स्थापत्यकला में उपाधि अथवा भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम तथा वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद ।
8.	लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी	किसी भी संकाय मे उपाधि
9.	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग में उपाधि या बेचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रथम श्रेणी

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

		टीपः-इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप पर कार्यरत व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर एप्लीकेशन / प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होगा ।
10.	सहायक यंत्री (सिविल)	(अ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिग में डिप्लोमा (ब) मानचित्रकार संवर्ग से पदोन्नति की दशा में उपाधि या डिप्लोमा आवश्यक नहीं हैं ।
11.	सहायक यंत्री (विद्युत)	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
12.	सहायक वास्तुविद	भारत सरकार/ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से स्थापत्यकला में उपाधि या भारत सरकार / मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम तथा वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद ।
13.	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	1. किसी भी संकाय में उपाधि 2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए
14.	निज सचिव	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / , प्रमाण पत्र। शीघ्रलेखन के लिए कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था / परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी / हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
15.	कम्प्यूटर प्रेग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग उपाधि या बेचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रथम श्रेणी टीपः-इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय सहायक प्रोग्रामर के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए/ अर्हता) एप्लीकेशन / प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होगा ।
16.	सहायक प्रग्रामर	स्नातक
17.	लेखापाल	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण। 2. विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। टीप -- इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केडर में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
18.	निज सहायक	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।

MAP IT (MP Code)
www.codemp.gov.in

		शीघ्रलेखन के लिए कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता, अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्था / परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी / हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए ।
19.	सहायक संपदा प्रबंधक--1	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण। टीप - इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केडर में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा ।
20.	सहायक संपदा प्रबंधक-2	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण। टीप :- इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केडर में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा ।
21.	वरिष्ठ सहायक	हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण। टीप :- इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय फीडर केडर में व्यक्तियों की, जो पुरानी पद्धति में हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण है, पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
22.	सहायक	हायर सेकेण्डरी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र कम्प्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टायपिंग में दक्षता ।
23.	दफ्तरी	मृत्य के पद हेतु मूल अर्हता।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अनुसूची - पाँच (ख)

(विनियम 18 देखिए)

(पद जिससे पदोन्नति की जाएगी, पदोन्नति पद एवं अर्हकारी सेवा)

अनुक्रमांक	पद / संवर्ग जिससे पदोन्नति की जाएगी	पद / संवर्ग जिसके लिए पदोन्नति की जाएगी	फीडर कैडर में न्यूनतम सेवा अवधि (कॉलम 2 के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उपायुक्त (सिविल)	अपर आयुक्त (सिविल)	5 वर्ष
2.	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	उपायुक्त (सिविल)	5 वर्ष
3.	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	उपायुक्त (विद्युत)	5 वर्ष
4.	प्रशासनिक अनाम / लेखा अधिकारी / संपदा अधिकारी	मुख्य लेखा अधिकारी	10 वर्ष (पदोन्नतिकी दशा में)
5.	सहायक यंत्री (सिविल)	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	6 वर्ष
6.	सहायक यंत्री (विधुत)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत)	6 वर्ष
7.	सहायक वास्तुविद	वास्तुविद	6 वर्ष
8.	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	प्रशासनिक अधिकारी/ लेखाअधिकारी / संपदा अधिकारी	5 वर्ष
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	न्यूनतम 5 वर्ष
10.	उपयंत्री (सिविल) / मानचित्रकार (सिविल)	सहायक यंत्री (सिविल)	उपयंत्री (सिविल) डिप्लोमाधारक के लिए न्यूनतम 12 वर्ष या उपयंत्री (सिविल) डिग्रीधारक के लिए न्यूनतम 8 वर्ष टीप-मानचित्रकार (सिविल) संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किया गया है। इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय मानचित्रकार (सिविल) के पद पर कार्यरत व्यक्तियों को भी न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति की पात्रता होगी ।
11.	उपयंत्री (विद्युत)	सहायक यंत्री (विद्युत)	उपयंत्री (विद्युत) डिप्लोमाधारक के लिए 12 वर्ष या उपयंत्री (विद्युत) डिग्रीधारक के लिए 8 वर्ष

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

12.	मानचित्रकार (वास्तु.)	सहायक वास्तुविद	12 वर्ष
13.	लेखापाल	शाखा अधिकारी / संपदा प्रबंधक	5 वर्ष
14.	निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष
15.	सहायक प्रोग्रामर	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
16.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	5 वर्ष
17.	सहायक संपदा प्रबंधक 1 एवं 2 तथा वरिष्ठ सहायक	लेखापाल	वरिष्ठ सहायक के रूप में 5 वर्ष टीप:- सहायक संपदा प्रबंधक 1 एवं 2 द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उनकी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा ।
18.	शीघ्रलेखक	निज सहायक	न्यूनतम 5 वर्ष
19.	सहायक संपदा प्रबंधक- 2	सहायक संपदा प्रबंधक- 1	न्यूनतम 5 वर्ष
20.	वरिष्ठ सहायक	सहायक संपदा प्रबंधक- 2	न्यूनतम 5 वर्ष
21.	सहायक	वरिष्ठ सहायक	न्यूनतम 5 वर्ष
22.	भृत्य / दफ्तरी	सहायक	भृत्य के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष
23.	भृत्य	दफ्तरी	न्यूनतम 12 वर्ष

टीप :- 1. मानचित्रकार (सिविल) एवं सहायक मानचित्रकार (सिविल) संवर्ग मृत संवर्ग के रूप में घोषित किए गए है । इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय कार्यरत सहायक मानचित्रकार के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर सहायक मानचित्रकार (सिविल) आई.टी.आई. डिप्लोमाधारक को सेवानिवृता/पदोन्नति के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएंगे।

2. सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सहायक संवर्ग को मृत संवर्ग के रूप में घोषित किए गए हैं। इन विनियमों के प्रवृत्त होने के समय कार्यरत सुरक्षा गार्डों के पद पर जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, सुरक्षा गार्ड हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण सेवानिवृत्त / पदोन्नति के पश्चति अस्तित्वहीन हो जाएंगे।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

अनुसूची- छह

(विनियम 22 देखिए)

निम्नलिखित संवर्ग पदों की आवश्यकता नहीं है अतएव उन्हें मृत संवर्ग घोषित किया जा रहा है इन संवर्गों के अधीन कार्यरत कर्मिक की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या किसी अन्य कारण से रिक्त होने पर ये पद स्वमेव अस्तित्वहीन हो जाएंगे :-

अनुक्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत संख्या	पद की श्रेणी	वेतनमान (वेतन बैण्ड+ ग्रेड वेतन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सक्षम प्राधिकारी	5	0	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600
2.	सिस्टम एनालिस्ट	1	0	प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600
3.	मुख्य सुरक्षा	1	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200
4.	ई.डी.पी. मैनेजर	1	1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+4200
5.	सुरक्षा अधिकारी	1	2	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200
6.	मानचित्रकार (सिविल)	22	17	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200
7.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	35	7	तृतीय श्रेणी	9300-34800+2400
8.	सहायक मानचित्रकार (विद्युत)	15	2	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400
9.	सुरक्षा सहायक	16	12	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900
10.	विद्युतकार ग्रेड-3	0	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900
11.	वायर मेन	22	13	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
12.	तकनीकी ग्रेड 1	60	25	चतुर्थ श्रेणी	5200-20200+1900
13.	तकनीकी ग्रेड 2	42	27	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
14.	प्लंबर	17	4	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
15.	कारपेन्टर	14	2	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
16.	पम्प अटेन्डेन्ट	55	11	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
17.	लिफ्ट मेन	3	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
18.	सुरक्षा गार्ड	30	20	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
19.	स्वीपर	36	14	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
20.	वाचमेन	1	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300
21.	प्लान्ट ऑपरेटर	2	1	चतुर्थ श्रेणी	4440-7440+1300

टीप - स्वीकृत पद वर्ष 1992 के सेटअप के अनुसार 1998 में यथा पुनरीक्षित है।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in